राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग

विद्यालय के भामाशाह योजना 2025
Vidyalaya Ke Bhamashah Yojana 2025

शतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त संकिर।
(सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो और हजारों हाथों से दान करो)
– अर्थववेद (3/24/5)

दक्षिणावान् प्रथमो हूत एति, दक्षिणावान ग्रामणीर ग्रमेति।
तमेव मन्ये जनानां यः प्रथमो दक्षिणा माविवाय।।
(दानशील व्यक्ति प्रत्येक शुभ कार्य में सर्वप्रथम आमंत्रित किया जाता है, वह समाज में ग्रामणी (अर्थात् प्रमुख) होता है, अग्र स्थान पाता है। जो लोग सबसे पहले दक्षिणा देते है वे जन–समाज के नृपति माने जाते है)
– अर्थववेद (10/107/5)

राजकीय विद्यालयों के विकास में दानदाताओं/भामाशाहों/ औद्योगिक संस्थानों द्वारा सहयोग बाबत नवीन दिशा–निर्देश

1. प्रस्तावना

1.1 राजस्थान सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में विद्यालयी शिक्षा का उन्नयन करने हेतु बडे पैमाने पर सुधारात्मक कार्य किए गए हैं जैसे– विद्यालय समन्वयन व सुदृढीकरण, राजकीय विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नयन एवं विद्यालय तथा शिक्षकों को प्रभावी सम्बलन प्रदान करने के लिए प्रशासनिक ढांचे का सुदृढीकरण।

1.2 विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में कक्षा कक्षों, खेल मैदान, फर्नीचर एवं खेलकूद सामग्री, विद्युत एवं स्वच्छ पेयजल, शौचालय सुविधा व आईसीटी/कम्प्यूटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाकर इन्हें सेन्टर ऑफ एक्सिलेन्स (Centre of Excellence) के रूप में विकसित किया जा रहा है।

1.3 राजस्थान में स्कूल शिक्षा के ढ़ांचागत एवं गुणवत्ता सुधार में केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त वित्तीय संसाधनों के अतिरिक्त दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा विद्यालयों में विभिन्न प्रकार से गतिविधियां संचालित करायी जाती है। उनके द्वारा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/अक्षय पेटिका में सीधा आर्थिक योगदान कर अथवा इसकी सहमति के पश्चात स्वयं के स्तर से कार्य करवाये जाते है।

1.4 Corporate Social Responsibility (CSR), दानदाताओं एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पत्र क्रमांक प. 4 (7) शिक्षा–1/2014 दिनांक 11–07–2017 के द्वारा ऑनलाईन प्लेटफार्म ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की स्थापना की गई है।

1.5 दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा विद्यालय में किये गये कार्य व योगदान के लिए प्रतिवर्ष 28 जून को भामाशाह जयन्ती के अवसर पर सम्मानित किये जाने का प्रावधान है। भामाशाहों/दानदाताओं से सहयोग प्राप्त करने एवं उनके सम्मान हेतु अनेक दिशा–निर्देश समय–समय पर जारी किये गये है। भामाशाह/दानदाताओं द्वारा राजकीय विद्यालयों के विकास में सहयोगी बनाने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा क्रमांक प.17(11) शिक्षा–6/2010/पार्ट दिनांक 13–03–2018 को जारी विद्यालय के भामाशाह योजना में संशोधन पश्चात नवीन दिशा–निर्देश जारी किये जाते है।

2. विद्यालयों में दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थानों के सहयोग से विकास कार्य करवाने हेतु प्रक्रिया

2.1 विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से

2.1.1 दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान सीधे ही विद्यालय में विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति की सहमति से विद्यालय में आधारभूत संरचना एवं गुणवत्ता सुधार हेतु कार्य एवं आर्थिक योगदान विद्यालय की विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के खाते में कर सकते है। कार्य का क्रियान्वयन सम्बन्धित दानादाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान स्वयं अथवा उनके द्वारा चयनित संस्था अथवा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से करवाया जा सकता है।

2.2 ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के माध्यम से

2.2.1 राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 4 (7) शिक्षा–1/2014 दिनांक 11–07–2017 द्वारा राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु Corporate Social Responsibility के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं दानदाताओं/जनसमुदाय से सहयोग प्राप्त करने के लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की स्थापना की गई है।

2.2.2 ज्ञान संकल्प पोर्टल/मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के माध्यम से सहयोग हेतु निम्नलिखित पांच श्रेणियॉ हैः–

i. पोर्टल पर प्रदर्शित प्रोजेक्ट हेतु सहयोग। (Support A Project)
ii. दानदाता/औद्योगिक संस्थान द्वारा स्वयं का प्रोजेक्ट बनाकर सहयोग। (Create Your Own Project)
iii. विद्यालय को गोद लेना। (Adopt A School)
iv. विद्यालय विशेष को सहयोग राशि प्रदान करना। (Donate To A School)
v. मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में वित्तीय योगदान करना। (Contribute to Mukhyamantri Vidyadaan Kosh)

2.2.3 मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में वित्तीय योगदान पर आयकर अधिनियम की धारा 80जी के अन्तर्गत आयकर में छूट देय है। इस कोष का उपयोग राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक– प. 4 (7) शिक्षा–1/2014 दिनांक 11–10–2017 से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु किया जाता है। **(परिशिष्ट–1)**

3. भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों द्वारा दिये गये योगदान के आधार पर विद्यालयों के नामकरण हेतु

3.1 बिन्दु संख्या 2 के अनुसार केवल भामाशाह/व्यक्तिगत दानदाता द्वारा विद्यालय के विकास में किये गये योगदान के आधार पर बिन्दु संख्या–4 में वर्णित देय प्रोत्साहन के अतिरिक्त विद्यालयों का नामकरण किये जाने के निम्नानुसार मानदण्ड होंगे–

i. **प्राथमिक विद्यालय हेतु** – 30 लाख रूपये से अधिक योगदान पर

ii. **उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु** – 60 लाख रूपये से अधिक योगदान पर

iii. **माध्यमिक विद्यालय हेतु** – 150 लाख रूपये से अधिक योगदान पर

iv. **उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु** – 200 लाख रूपये से अधिक योगदान पर

3.2 बिन्दु संख्या– 3.1 पर निर्धारित मानदण्ड की समीक्षा प्रत्येक दो वर्ष में की जावेगी।

3.3 विद्यालय के नाम के पूर्व में केवल भामाशाह/व्यक्तिगत दानदाता का स्वयं का नाम अथवा उसके द्वारा निर्धारित नाम अंकित किया जावेगा।

उदाहरण स्वरूप–

श्रीमती कौशल्या देवी द्वारा बिन्दु संख्या 3.1 के अनुसार राशि का कार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपुर में कराये जाने पर विद्यालय का नामकरण श्रीमती **कौशल्या देवी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर** किया जावेगा। किसी भी परिस्थिति में विद्यालय के नाम से राजकीय शब्द नहीं हटाया जावेगा।

3.4 राजकीय विद्यालय नामकरण में किसी भी कम्पनी का नाम कभी भी शामिल नहीं किया जा सकेगा।

3.5 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के नामकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दिशा–निर्देश दिनांक 04.03.2024 आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।

3.6 सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा नामकरण हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जावेगा एवं नामकरण की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी की जावेगी।

3.7 विद्यालय नामकरण हेतु बिन्दु संख्या 4.1 पर वर्णित राशि विद्यालय के विकास हेतु व्यय की जावेगी, इसमें भूमि की कीमत शामिल नहीं होगी। परन्तु बिन्दु संख्या–3 पर वर्णित अन्य प्रोत्साहनों की गणना हेतु भूमि की कीमत भी सम्मिलित होगी। प्रोत्साहन स्वरूप विद्यालय संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय भामाशाह पट्ट एवं दृश्य स्थल पर बोर्ड पट्टिका पर भूमि दानदाता का नाम अंकित किया जावे।

3.8 बिन्दु संख्या 3.5 के अनुसार भामाशाह के नामकरण के उपरान्त विद्यालय के क्रमोन्नत होने की स्थिति में–

3.6.1 विद्यालय नामकरण पश्चात् विद्यालय एमडीएमसी/एसएमसी के माध्यम से नामकरण वाले भामाशाह/प्रतिनिधि/पारिवारिक वारिसान को विद्यालय क्रमोन्नति से अवगत कराते हुए समग्र शिक्षा नियमानुसार विद्यालय की भौतिक संसाधनों आवश्यकताओं को क्रमोन्नति के 3 वर्ष में पूर्ति करने हेतु अवगत कराया जाएगा तथा विद्यालय नामकरण का यथावत रखा जावें।

3.6.2 बिन्दु संख्या 3.6.1 अनुसार विद्यालय नामकरण वाले भामाशाह/प्रतिनिधि/पारिवारिक वारिसान द्वारा विद्यालय क्रमोन्नति के 3 वर्ष में यदि आवश्यकताओं की पूर्ति कर विकास किया जाता है तो विद्यालय नामकरण का यथावत रखा जाएगा। यदि 3 वर्ष उपरान्त भामाशाह द्वारा भौतिक संसाधन का कार्य प्रगति पर है तो संस्था प्रधान द्वारा कार्य को पूर्ण करने हेतु 1 वर्ष का समय देते हुए भामाशाह व सम्बन्धित प्रारंभिक/माध्यमिक निदेशालय बीकानेर को पत्र प्रेषित किया जावें।

3.6.3 बिन्दु संख्या 3.6.1 अनुसार विद्यालय नामकरण वाले भामाशाह/प्रतिनिधि/पारिवारिक वारिसान द्वारा विद्यालय क्रमोन्नति के उपरान्त आवश्यक भौतिक संसाधन की पूर्ति करने में लिखित असमर्थता प्रकट करने या या 3 वर्ष की अवधि तक कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में (जो भी पहले हो) किसी अन्य भामाशाह द्वारा बिन्दु संख्या 3.1 के अनुसार क्रमोन्नति विद्यालय के नवीन नामकरण हेतु अपनी इच्छा प्रकट की जाती है तो पूर्व भामाशाह के बनाये गये भवन पर ब्लॉक का नाम पूर्व भामाशाह के अनुसार रखते हुए नवीन भामाशाह द्वारा नियमानुसार पूर्ति करने पर विद्यालय का नामकरण नवीन भामाशाह के वांछितानुसार किया जावे।

3.6.4 मुख्यमंत्री जनसहभागिता योजना एवं जनसहभागिता योजना (50:50) के अन्तर्गत केवल भामाशाह/दानदाता द्वारा व्यय की गई सहयोग राशि बिन्दु संख्या 3.1 के अनुसार होने पर भामाशाह/दानदाता विद्यालय नामकरण के पात्र होगें।

3.6.5 वस्तु रूप में प्राप्त सहयोग की स्थिति में लागत मूल्य का निर्धारण वस्तु के वास्तविक बिल की प्रमाणित प्रति संस्था प्रधान को उपलब्ध कराने पर एवं निर्माण की स्थिति में कार्य प्रारंभ के समय लागत अनुमान के आधार पर अंतिम कार्य राशि का एसडीएमसी से प्रमाणिकरण उपरान्त निर्धारित की जाएगी। भवन निर्माण के सम्बन्ध में भवन मूल्यांकन राशि का निर्धारण समग्र शिक्षा के जिला स्तरीय तकनीकी अधिकारी (सिविल शाखा) द्वारा करवाया जा सकता है।

3.9 नामकरण हेतु आवेदन की प्रकिया

3.7.1 विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से विद्यालय में किये गये कार्यो के मामले में संबंधित विद्यालय की विद्यालय प्रबन्धन व विकास समिति/विद्यालय विकास समिति के अनुमोदन उपरान्त प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा को भिजवाया जाएगा।

3.7.2 ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से किये गये कार्य के मामले में प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:–

i. ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विद्यालय विशेष हेतु Create A CSR Project श्रेणी में भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान द्वारा विद्यालय में स्वयं द्वारा कार्य करवाने की स्थिति में कार्य पूर्णता पश्चात् तथा जहां कार्यकारी संस्था विभाग को बनाया गया हो उस पूर्ण लागत राशि हस्तान्तरित होने पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् में गठित सीएसआर प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्ताव राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी से अनुमोदन पश्चात् संबंधित निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक) को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाया जावेगा।

ii. ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विद्यालय विशेष हेतु **Donate to A School** श्रेणी में भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान सहयोग राशि हस्तान्तरित होने पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् में गठित सीएसआर प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्ताव राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी से अनुमोदन पश्चात् संबंधित निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक) को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाया जावेगा।

iii. वस्तु के रूप में प्राप्त सहयोग की स्थिति में लागत मूल्य का निर्धारण वस्तु के वास्तविक बिल की प्रमाणित प्रति के आधार पर एवं निर्माण की स्थिति में कार्य प्रारंभ के समय लागत अनुमान के आधार पर अंतिम कार्य राशि का निर्धारण जिला संवीक्षा समिति द्वारा किया जाकर राज्य संवीक्षा समिति को भिजवाया जायेगा।

iv. ज्ञान संकल्प पोर्टल की राज्य स्तरीय संवीक्षा समिति द्वारा नामकरण के प्रोजेक्ट की पात्रता रखने वाले प्रोजेक्ट अनुमोदन की स्थिति में राज्य सरकार के पत्रांक प.11() शिक्षा–6/विभाग दिनांक 20–12–2019 के अनुसार भामाशाह को राज्य सरकार से नामकरण की पूर्व सहमति/स्वीकृति की आवश्कता नहीं होगी।

4. भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों द्वारा विद्यालयों के गोद लेने हेतु

4.1 किसी भी भामाशाह/दानदाता या औद्योगिक संस्थान द्वारा सीएसआर या चैरिटी के अन्तर्गत किसी भी राजकीय विद्यालय को उसकी एसडीएमसी/एसएमसी के माध्यम तथा ऑनलाईन प्लेटफॉर्म ज्ञान संकल्प पोर्टल पर संचालित Adopt A School श्रेणी माध्यम से अन्तर्गत गोद ले सकता है।

4.2 भामाशाह/दानदाता या औद्योगिक संस्थान द्वारा राजकीय विद्यालय गोद लेने पर विद्यालय की न्यूनतम आवश्यकतानुसार के अनुसार प्रथम वर्ष में अनावर्ती व्यय व प्रथम वर्ष सहित आगामी 4 वर्ष (कुल 5 वर्ष) हेतु गोद दिया जावेगा।

4.3 भामाशाह/दानदाता या औद्योगिक संस्थान द्वारा विद्यालय गोद लेने की समयावधि के उपरान्त आगामी समयावधि के लिए गोद लेने में प्राथमिकता रहेगी।

4.4 राजकीय विद्यालय को गोद लेने की स्थिति में प्रथम वर्ष किये जाने वाले अनावर्ती व्यय में न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं में पर्याप्त कक्षा–कक्ष, फर्नीचर, कक्षा–कक्ष हेतु स्मार्ट बोर्ड, छात्र–छात्राओं हेतु पृथक–पृथक मूत्रालय व शौचालय, पेयजल व्यवस्था शामिल रहेगा। इसके अतिरिक्त विद्यालय सहमति से अन्य सुविधाओं का भी शामिल किया जा सकता है।

4.5 विद्यालय गोद लेने हेतु 5 वर्षों में किये जाने वाले आवर्ती मद में साफ–सफाई, खेल आवर्ती खर्च, कम्प्यूटर कार्य सेवा, विद्युत व पानी पर खर्च सहित माइनर रिपेयरिंग को शामिल रहेगा। इसके अतिरिक्त विद्यालय सहमति से अन्य आवर्ती व्यय को भी शामिल किया जा सकता है।

4.6 गोद लेने हेतु भौतिक सुविधाओं का निर्धारण नामांकित विद्यार्थियों के 110 प्रतिशत के आधार पर किया जावें।

4.7 विद्यालय गोद लेने पर आदेश जारी दिनांक के उपरान्त आगामी माह की प्रथम तिथि से प्रारंभ माना जाएगा।

4.8 भामाशाह/दानदाता या औद्योगिक संस्थान द्वारा एक से अधिक विद्यालय को एक मुश्त गोद लिया जा सकता है। किसी संस्था द्वारा 10 से अधिक राजकीय विद्यालयों को जिला व राज्य स्तर से एक साथ गोद लिया जा सकेगा।

4.9 राजकीय विद्यालय को गोद जाने के बाद किसी भी भामाशाह/दानदाता/ औद्योगिक संस्थान द्वारा गोद नहीं लिया जा सकेगा जब तक कि गोद लेने वाली कम्पनी से लिखित में गोद लेने हेतु निर्धारित आवर्ती/अनावर्ती व्यय की असहमति प्रकट नहीं की गई हो।

4.10 यदि गोद लेने वाली संस्था द्वारा गोद लेने की समयावधि में लगातार छः माह तक कार्य नहीं किया गया तो गोद लेने की स्वीकृति को निरस्त माना जावेगा।

4.11 भामाशाह/दानदाता के नामकरण वाले विद्यालय को नामकरण के उपरान्त गोद लेने के लिए नामकरण वाले दानदाता को प्राथमिकता रहेगी। नामकरण वाले दानदाता के असहमति प्रकट करने पर अन्य किसी भी भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान को गोद दिया जा सकेगा। महान विभूतियों के नाम से संचालित विद्यालयों में यह बिन्दु लागू नहीं होगा।

4.12 किसी भी भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान विद्यालय गोद लेने की स्थिति में उनको हर तीन माह में ब्लॉक शिक्षा कार्यालय/जिला शिक्षा कार्यालय/जिला कलेक्टर कार्यालय (सीएसआर के अन्तर्गत गोद लेने पर) व सम्बन्धित निदेशालय बीकानेर व राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

4.13 राजकीय विद्यालय गोद लेने की स्थिति में विद्यालय में किये जाने आवर्ती व अनावर्ती मद के अतिरिक्त विद्यार्थियों हेतु आवश्यक सामग्री यथा पुस्तके, जर्सी, जूते–मौजे, बैग इत्यादि का वितरण एसडीएमसी/एसएमसी की सहमति से किया जा सकेगा।

5. भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों के लिए प्रोत्साहन

5.1 बिन्दु संख्या 2 के अनुसार भामाशाह/दानदाताओ/औद्योगिकी संस्थानों द्वारा विद्यालयों में कराये गये विकास कार्यो के लिए प्रोत्साहन **परिशिष्ट–2** के अनुसार दिया जावेगा।

5.2 विद्यालय गोद लेने की स्थिति में प्रोत्साहन हेतु राशि का निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किये गये आवर्ती मद के अनुसार दिया जावेगा तथा अनावर्ती मद की राशि को कार्य पूर्ण होने वाले वित्तीय वर्ष जोडा जावेगा।

5.3 बिन्दु संख्या 4 के अनुसार पर राजकीय विद्यालय गोद लेने पर विद्यालय के नाम के साथ पांच वर्ष हेतु संक्षिप्त में दिनांक एवं सत्र सहित यह लिखा जा सकेगा कि यह विद्यालय पांच वर्ष के लिए उक्त भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान द्वारा गोद लिया गया है।

उदाहरण के तौर पर –

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय..... जिला–.....
(यह विद्यालय एबीसी कम्पनी द्वारा तीन वर्ष के लिए गोद लिया गया है)
सत्र 2017–18 से 2021–22 तक दिनांक 01.07.2017 से 30.06.2022

यदि उपरोक्त के अनुसार लिखा जाना संभव ना हो तो स्पष्ट दृश्य स्थान अलग से बोर्ड लगाया जा सकेगा जिस पर कम्पनी का नाम व अवधि आवश्यक रूप अंकित होगी।

5.4 राशि आधारित प्रोत्साहन के उपर्युक्त वर्णित बिन्दु संख्या 5.1 से 5.3 के अतिरिक्त विद्यालय में नामकरण करने वाले भामाशाह तथा किसी भी विद्यालय में 2 करोड से अधिक का सहयोग करने वाले भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न कार्य किये जाऐगे–

5.4.1 विभाग पीएश्री विद्यालयों की तर्ज पर वर्ष भर विद्यालय के स्वीकृत पदों का 80 प्रतिशत पद अनिवार्यतः पद भरे जाना सुनिश्चित करेगा।

5.4.2 विद्यालय में भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान द्वारा भौतिक संसधानों की पूर्ति करने के लिखित आश्वासन पर किसी भी संकाय यथा– विज्ञान संकाय, कला संकाय, कृषि संकाय एवं वाणिज्य संकाय के प्रारंभ करने अनुशंषा पर विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से संकाय संचालित किया जावेगा।

5.4.3 भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान की अभिशंषा व आवश्कतानुसार संसाधन उपलब्ध कराने पर विद्यालय में वोकेशनल सेक्टर व ट्रेनिंग कोर्स का विभाग द्वारा संचालन की अनिवार्यतः अनुमति प्रदान की जावेगी।

5.4.4 राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष भामाशाह/दानदातों की समस्याओं पर विचार–विमर्श करने एवं प्रोत्साहित करने हेतु बैठक का आयोजन किया जावे।

5.4.5 भामाशाह/दानदाताओं को विद्यालय में होने वाले प्रत्येक समारोह में विद्यालय द्वारा आमंत्रित किया जावें।

5.4.6 भामाशाह/दानदाता/कम्पनी के प्रतिनिधियों को एसडीएमसी/ एसएमसी में शामिल करने हेतु शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 31.01.2025 की पालना सुनिश्चित की जाएगी।

5.4.7 राजकीय विद्यालयों में 4 करोड रूपये से अधिक का सहयोग करने वाले भामाशाह/दानदाता/कम्पनी प्रतिनिधि को राज्य स्तर पर अपने सुझाव एवं कार्य योजना के लिए शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में प्रतिवर्ष बैठक का आयोजन किया जावें जिससे कि विभाग की भविष्य की कार्य योजना में सहयोग प्राप्त हो सकें।

5.4.8 सम्बन्धित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे विद्यालयों के भामाशाह/दानदाता के साथ संबंधित जिला कलक्टर की अध्यक्षता में प्रत्येक तीन माह में समीक्षा बैठक का आयोजन करवाया जावेगा।

6. राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन

6.1 राजकीय विद्यालयों/ राजकीय शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं भौतिक विकास के लिए भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को बिन्दु संख्या–3 के प्रावधानों के अनुसार सम्मानित किये जाने हेतु प्रति वर्ष 28 जून को भामाशाह जयन्ती के अवसर पर राज्य स्तर भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जावेगा।

6.2 राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह हेतु निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर नोडल अधिकारी होंगे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर पूर्व की भांति राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक वर्ष दिशा–निर्देश जारी करेगे।

6.3 मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–3 के प्रावधानों के अनुरूप दिये गये योगदान भी इस श्रेणी हेतु पात्र होंगे।

7. जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन

7.1 राजकीय विद्यालयों/ राजकीय शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं भौतिक विकास के लिए भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को बिन्दु संख्या–3 के प्रावधानों के अनुसार सम्मानित किये जाने हेतु प्रति वर्ष 28 जून को भामाशाह जयन्ती के अवसर पर प्रत्येक जिला स्तर पर भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जावेगा।

7.2 मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–3 के प्रावधानों के अनुरूप दिये गये योगदान भी इस श्रेणी हेतु पात्र होंगे।

7.3 समस्त जिलों में जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित कराने के लिए निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर नोडल अधिकारी होंगे। जिला स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा– प्रथम नोडल अधिकारी होंगे। प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग के आदेश क्रमांक प.6 (18) प्र. सु./अनु.3/2016 दिनांक 30–03–2016 द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित **जिला शिक्षा सलाहकार समिति (परिशिष्ट–3)** कार्यक्रम हेतु आयोजन एवं चयन समिति के रूप में कार्य करेगी।

7.4 जिला स्तरीय सम्मान समारोह में जिले के जन प्रतिनिधिगण को आवश्यक रूप से आमन्त्रित किया जावेगा।

8. भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को राजकीय विद्यालयों में सहयोग हेतु प्रेरित करने वालों के लिए प्रोत्साहन

7.1 प्रत्येक वित्तीय वर्ष (01 अप्रेल से 31 मार्च) की अवधि में किसी राजकीय विद्यालय को सहयोग हेतु एक या एक से अधिक भामाशाह/ दानदाता/ औद्योगिक संस्थानों को प्रेरित करने वाले व्यक्ति को राज्य/जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में **''शाला प्रेरक''** की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा।

7.2 दान एवं सहयोग राशि के लिए किसी एक विद्यालय को एक इकाई माना जायेगा।

7.3 तीस लाख रूपये या इससे अधिक धन राशि का सहयोग करने वाले भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जावेगा।

7.4 पांच लाख एवं अधिक तथा तीस लाख रूपये से कम की राशि का सहयोग करने वाले भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को जिला स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जावेगा।

7.5 प्रेरकों के सम्बन्ध में राज्य व जिला स्तर के समारोह के आयोजन हेतु प्रत्येक वर्ष राज्य नोडल निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये जावेगे।

7.6 भामाशाह/ दानदाता/ औद्योगिक संस्थानों द्वारा संबंधित शाला प्रधान (प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य) को लिखित में अवगत करवाये जाने पर कि उनके द्वारा प्रदत्त योगदान हेतु प्रेरित करने वाले व्यक्ति का विवरण लिखित में सम्बन्धित संस्था प्रधान को उपलब्ध करवा जाने पर संस्था प्रधान द्वारा तथ्य की पुष्टि स्वयं के स्तर पर की जाएगी तथा सही पाए जाने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को शाला प्रेरक हेतु निर्धारित आवेदन–पत्र में सम्मानित किए जाने हेतु प्रेरक के नाम की अभिशंषा की जाएगी।

7.5.1 राज्य स्तर पर सम्मानित होने वाले प्रेरकों के आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय) एवं संयुक्त निदेशक सम्बन्धित संभाग के माध्यम से निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर को उचित माध्यम द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्ताव समेकित रूप से तैयार कर भेजेंगे, जिसके साथ चयनित शाला प्रेरक के आवेदन पत्र की फोटो प्रति भी संलग्न कर प्रेषित करेंगे।

7.5.2 जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले प्रेरकों के आवेदन पत्र सम्बन्धित संस्था प्रधान जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषा पर जिला स्कूल सलाहकार समिति (चयन समिति) को भेजेंगे।

****

भामाशाह/दानदाताओं/औद्योगिकी संस्थानों द्वारा विद्यालयों में कराये गये विकास कार्यो के लिए प्रोत्साहन

क्र. सं.	सहयोग का स्तर/ कार्य या वस्तु लागत	प्रोत्साहन का विवरण	प्रक्रिया	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1	**शिक्षा मित्र** 5000 रूपये से 25 हजार रूपये से कम राशि तक (नकद राशि या लागत मूल्य कार्य/वस्तु हेतु)	विद्यालय में सहज दृश्य स्थान पर विभिन्न दानदाता/ भामाशाह/ औद्योगिक संस्थानों से प्राप्त सहयोग प्रदर्शित करने वाली पट्टिका (भामाशाह बोर्ड) संस्था प्रधान द्वारा लगाई जावेगी।	माह में कम से कम एक बार उक्त बोर्ड को अद्यतन किया जाएगा एवं उस दिनांक तक प्राप्त सहयोग राशि व दानदाता का विवरण अंकित किया जावेगा।	
2	**शिक्षा साथी** 25 हजार रूपये या अधिक व 1 लाख रूपये से कम राशि तक (नकद राशि या लागत मूल्य कार्य/वस्तु हेतु)	• क्र.सं.–1 की श्रेणी को देय प्रोत्साहन	• क्र.सं.–1 की श्रेणी के अनुसार	
		• सहयोग से प्राप्त वस्तु/ निर्मित कार्य पर दानदाता/ भामाशाह/औद्योगिक संस्थान का नाम व लोगो (यदि कोई हो तो)	• वस्तु या राशि प्राप्त होने/ निर्माण कार्य पूर्ण होने के दस दिवस में सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति से कॉलम–3 के अनुसार प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव अनमुोदित करवाया जाएगा • अनुमोदन के 5 दिवस में नाम व लोगो लिखवाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी।	कॉलम संख्या 2 में अंकित राशि से पूर्ण ईकाई (निर्माण /वस्तु) होने की स्थिति में ही देय

1	2	3	4	5
3	**शिक्षा श्री** 1 लाख रूपये या अधिक व 30 लाख रूपये से कम राशि तक (नकद राशि या लागत मूल्य कार्य/वस्तु हेतु)	• क्र.सं.–1 व 2 श्रेणी को देय प्रोत्साहन	• क्र.सं.–1 व 2 की श्रेणी के अनुसार	
		• शिक्षा विभाग राजस्थान की पत्रिका शिविरा के वार्षिकांक में प्रकाशन	• ज्ञान संकल्प प्रकोष्ठ बीकानेर द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल पर उपलब्ध सूचना एवं जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर सूची तैयार की जावेगी एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर से प्रस्ताव अनुमोदित करवाकर शिविरा में प्रकाशन की व्यवस्था की जावेगी।	
		• प्रत्येक वित्तीय वर्ष 01 अप्रेल से 31 मार्च की अवधि में प्राप्त सहयोग राशि के आधार पर आगामी **जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह** (प्रतिवर्ष 28 जून को आयोज्य) में सम्मानित किया जायेगा।	• **ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से सहयोग हेतु–** ✓ जिला संवीक्षा समिति चयन कर जिला आयोजन समिति को भेजेंगे। • **विद्यालयों के द्वारा सीधे प्राप्त सहयोग हेतु–** ✓ सम्बन्धित संस्था प्रधान प्रस्तावों को जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषा पर जिला आयोजन समिति को भेजेंगे।	

1	2	3	4	5
4	**शिक्षा भूषण** 30 लाख रूपये या अधिक व 1 करोड रूपये से कम राशि तक (नकद राशि या लागत मूल्य कार्य/वस्तु हेतु)	• क्र.सं.–1, 2 व 3 श्रेणी को देय प्रोत्साहन **(जिला स्तर पर भामाशाह सम्मान को छोडकर)**	• क्र.सं.–1, 2 व 3 की श्रेणी के अनुसार	
		• ज्ञान संकल्प पोर्टल के **"हॉल ऑफ फेम"** पर दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान का नाम प्रदर्शित करना।	• सी.एस.आर. प्रकोष्ठ रा.स्कू. शि.प. जयपुर द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल पर **"हॉल ऑफ फेम"** में नाम प्रदर्शन की व्यवस्था करवायेगा।	
		• प्रत्येक वित्तीय वर्ष 01 अप्रेल से 31 मार्च की अवधि में प्राप्त सहयोग राशि के आधार पर राज्य स्तर पर आयोजित **भामाशाह सम्मान समारोह** (प्रतिवर्ष 28 जून को आयोज्य) में सम्मानित किया जायेगा।	• **ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से सहयोग हेतु–** ✓ सीएसआर प्रकोष्ठ, मा. शि. नि. बीकानेर चयन कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से अनुमोदन पश्चात् नोडल एजेन्सी को भेजेंगे। • **विद्यालयों के द्वारा सीधे प्राप्त सहयोग हेतु–** ✓ सम्बन्धित संस्था प्रधान प्रस्तावों को जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषा सहित सम्बन्धित निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर को प्रेषित करेंगे जो अनुशंषा सहित निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।	

1	2	3	4	5
5	**शिक्षा विभूषण** 1 करोड रूपये या अधिक राशि हेतु (नकद राशि या लागत मूल्य कार्य/वस्तु हेतु)	• क्र.सं.–1, 2, 3 व 4 श्रेणी को देय प्रोत्साहन **(जिला स्तर पर भामाशाह सम्मान को छोडकर)**	• क्र.सं.–1, 2, 3 व 4 की श्रेणी के अनुसार	
		• ज्ञान संकल्प पोर्टल के फेसबुक पेज पर कवर स्टोरी का प्रकाशन	• सी.एस.आर. प्रकोष्ठ रा.स्कू. शि.प. जयपुर द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल के फेसबुक पेज पर कवर स्टोरी प्रदर्शन की व्यवस्था करवायेगा।	